कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)

:: विविध आदेश ::

(दिनांक 21.06.2021 से 26.06.2021 तक के लिये प्रभावशील)

क्रमांक 130/दो-12-11/2014 बैतूल दिनांक 20/06/2021

बैतूल जिले मे कोविड-19 के संक्रमण की विद्यमान परिस्थितियो को देखते हुये तथा कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुये माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के सर्कुलर क्र.ए/113/ जबलपुर दिनॉक 15.01.2021 एवं परिपत्र कमांक ए/1149 जबलपुर दिनांक 03.04. 2021 के पालन में जिला मुख्यालय बैतूल पर स्थित सभी न्यायालयो में एवं परिवार न्यायालय बैतूल में तथा तहसील मुलताई, भैंसदेही और आमला स्थित सभी न्यायालयो में **दिनॉक 21.06.2021 से दिनॉक 26.06.2021** तक निम्न प्रकार के प्रकरणों के लिये लिमिटेड फिजिकल हियरिंग निर्देशित की जाती है :-

1. रिमाण्ड, जमानत आवेदन एवं सुपुर्दगीनामा आवेदन
2. आपराधिक एवं व्यवहार अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण
3. वे आपराधिक प्रकरण, जिनमे आरोपी/आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में है।
4. पॉच वर्ष से अधिक लंबी अवधि के समस्त आपराधिक प्रकरण
5. दो वर्ष से अधिक लंबी अवधि के समस्त व्यवहार प्रकरण
6. मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरण
7. मोटरयान दुर्घटना क्लेम प्रकरणो मे जमा प्रतिकर राशि प्राप्ति के आवेदन-पत्र
8. धारा 125 से 128 द.प्र.सं. के प्रकरण
9. किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरण
10. एडाप्शन प्रकरण
11. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमे राजीनामा/समझौता आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
12. ऐसे सभी प्रकरण जिनमे माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सीमित समयावधि मे निराकरण किये जाने के आदेश पारित किये गये है। (आपराधिक एवं व्यवहार प्रकरण दोनों)
13. एक्सट्रीम अर्जेन्ट प्रकृति के व्यवहार एवं आपराधिक प्रकरण, जिनमे न्यायालय द्वारा तात्कालिकता पायी जाती है।

2. उपरोक्त कार्य दिवसो में प्रत्येक न्यायालय मे प्रकरणों की संख्या 20 (बीस) से अधिक नही होगी।

3. उपरोक्त कार्य दिवसों मे उपरोक्त प्रकार के प्रकरणो की फिजिकल हियरिंग के साथ-साथ सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या अन्य माध्यम, जो अभिभाषकों और पक्षकारो के लिये सुविधापूर्ण है, से भी की जावेगी।

4. अभिभाषको, पक्षकारो एवं साक्षियो की उपस्थिति पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश-पत्रिका पर लिखी जावेगी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की दृष्टि से निर्देशित किया जाता है कि आगामी आदेश तक अभिभाषको, पक्षकारों और गवाहों के हस्ताक्षर आदेश-पत्रिका पर नहीं लिये जावेंगे।

5. जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील मुलताई, भैंसदेही तथा आमला मे प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग न्यायालय परिसर में लिमिटेड गेदरिंग तथा न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण के परिसर में

आवागमन के संबंध मे कोविड–19 की सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रकार की व्यवस्था करेंगे।

6 ऐसे न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण और न्यायालयीन कर्मचारीगण, जो क्वारेंटाईन/आइसोलेटेड किये गये है, का प्रवेश न्यायालय परिसर मे वर्जित रहेगा।

7 कोई भी व्यक्ति शराब पिये हुये, पान, गुटखा या तम्बाकू खाये हुये न्यायालय परिसर मे प्रवेश नही करेगा। न्यायालय परिसर मे थूकना प्रतिबंधित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त गतिविधि करते पाया गया, तो वह विधि अनुसार एवं केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार अभियोजन/दण्ड का दायी होगा।

8 सभी न्यायिक अधिकारीगण, सभी अभिभाषकगण, पक्षकार एवं न्यायालयीन कर्मचारी, जो न्यायालय परिसर मे आते हैं। फेस मास्क या फेस कव्हर पहनेंगे।

9 कोई भी व्यक्ति, जिसे बुखार और फ्लू है, या बुखार या फ्लू जैसे लक्षण है, न्यायालय परिसर मे प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी न्यायालयीन कर्मचारी को बुखार/फ्लू के लक्षण है, तो वह तुरत अपने न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/जिला न्यायाधीश, बैतूल को सूचित करेंगे। यदि कोई अभिभाषक, बुखार/फ्लू से ग्रस्त है, तो वह तुरत इसकी सूचना अभिभाषक संघ को देंगे एवं अभिभाषक संघ द्वारा तुरंत इसकी जानकारी जिला न्यायाधीश को दी जावेगी।

10 केवल उन्हीं पक्षकारों और उनके अभिभाषकगण को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, जिनके प्रकरण नोटिफाईड एवं लिस्टेड है। प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, न्यायालय परिसर मे इंट्री पाईंट पर यह देखने की व्यवस्था करेंगे कि केवल वही अभिभाषकगण और पक्षकारगण न्यायालय परिसर में आये, जिनके प्रकरण उस दिन न्यायालय मे नियत है।

11 न्यायालय परिसर मे स्थित कैंटीन, फोटोकॉपी की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। प्रत्येक अभिभाषक संघ के अध्यक्ष महोदय, अभिभाषक संघ के कक्ष मे लिमिटेड इंट्री सुनिश्चित करेंगे।

12 प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग बैतूल, मुलताई, भैंसदेही एवं आमला को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय परिसर में सेनेटाईजेशन एवं हाथ धोने की व्यवस्था मुख्य प्रवेश द्वार पर, टायलेट्स मे, न्यायालय कारिडोर्स में करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय/न्यायालय परिसर में बिना हाथ धोये और बिना सेनेटाईजर लगाये प्रवेश नही करे तथा न्यायालय एवं न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करायेंगे।

13 न्यायालय मे एक समय मे केवल वे ही अभिभाषकगण और पक्षकारगण उपस्थित होंगे, जिनके प्रकरणो मे सुनवाई हेतु पुकार लगवाई गयी है। शेष अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण न्यायालय कक्ष के बाहर रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे।

14 अभिभाषकगण अपनी केस फाईल स्वयं धारित करेंगे एवं सुनवाई हो जाने पर अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण तुरंत न्यायालय कक्ष छोड़ देंगे।

15 समस्त न्यायिक अधिकारी, अभिभाषक, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार तथा साक्षी कोविड–19 के संबंध मे केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सभी सुरक्षा निर्देशो का सख्ती से पालन करेगे।

16 जिला मुख्यालय बैतूल पर त्रि–सदस्यीय समिति एवं कोविड कम्पलाईस अधिकारी उपरोक्त निर्देशो के पालना सुनिश्चित करेगे। तहसील मुलताई भैसदेही आमला मे प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त सर्कुलरो के पालन मे गठित समिति निर्देशो की पालना सुनिश्चित करेगे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

पृष्ठां क्रमांक 696 /दो–12–11/2014 बैतूल, दिनांक 20/06/2021

प्रतिलिपि–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर बैतूल, जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, बैतूल जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल।
5. श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट बैतूल।
6. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अति. अपर जिला न्यायाधीश, बैतूल/मुलताई/भैसदेही श्रीमती दीपका मालवीय/श्री अनुज त्यागी/श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी/श्री राजकुमार गुप्ता/श्री ए.के. ददेलिया/श्री सुशील कुमार जोशी/श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी।
7. श्रीमती अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बैतूल।
8. श्री दीनानाथ वाडिवा, जिला रजिस्ट्रार एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल।
9. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला श्रीमती सुनीता ताराम/श्रीमती रंजीताराव सोलंकी/श्रीमती मंजूषा तेकाम/ श्री एन.एस. ताहेड/श्री विनोद अहिरवार।
10. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला। श्रीमती राधा उईके/श्रीमती कमला गौतम/श्रीमती प्रियंका कुशवाह/श्री अजय कुमार उईके/श्री दीपेन्द्र मालू/सुश्री पूर्वी तिवारी/श्री कौस्तुभ खेड़ा/सुश्री रीना पिपल्या।
11. प्रशिक्षु न्यायाधीश, बैतूल – श्री कृष्णा वोहरा/श्री अभिषेक साहू/श्री अंशुल चन्द्रा/श्री विशाल रिछारिया
12. श्रम न्यायाधीश, श्रम न्यायालय कैम्प बैतूल।
13. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला न्यायाधीश, बैतूल।
14. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, बैतूल/ मुलताई/ आमला/भैसदेही।
15. प्रभारी अधिकारी, नजारत/ग्रथालय/मालखाना/पंजीयन/तलवाना /कम्प्यूटर अभिलेखागार/प्रतिलिपि/सांख्यिकीय/लेखाअनुभाग, बैतूल/मुलताई/आमला /भैसदेही
16. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/आमला/भैसदेही।
17. अध्यक्ष, कोरोना संक्रमण सुरक्षा कमेटी, बैतूल

18. लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी बैतूल /मुलताई/भैंसदेही की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

19. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

20. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/असिस्टेंट सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए. बैतूल की ओर उक्त विविध आदेश की प्रति संबधितों के मेल आई.डी. पर प्रेषित किये जाने हेतु।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)